सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 27, शनिवार, शाके 1943–अप्रैल 17, 2021 *Chaitra 27, Saturday, Saka 1943- April 17, 2021*	

भाग–6 (ग)

नगरपालिकाओं संबंधी आपत्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 17, 2021

संख्या एफ.15(25)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2020/486:– स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/981 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा नगरपालिका सपोटरा, अधिसूचना कमांक 916 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा नगरपालिका अटरू, अधिसूचना कमांक 541 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा नगरपालिका बसेडी, अधिसूचना कमांक 1046 दिनांक 24.03.2021 के द्वारा नगरपालिका बानसूर, अधिसूचना कमांक 1176 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा नगरपालिका रामगढ, अधिसूचना कमांक 1423 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा नगरपालिका लक्ष्मणगढ एवं अधिसूचना कमांक 1238 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा नगरपालिका सुल्तानपुर चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाओं का गठन किया गया है ।

अतः जिन ग्राम पंचायतों के आंशिक भाग को नगरपालिका की सीमा में सम्मिलित किया गया है, उन ग्राम पंचायतों के शेष भाग की नई ग्राम पंचायत बनाये अथवा उस भाग को किसी अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित करने के लिये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या–13) की धारा–98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा–9 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, करौली, कोटा, धौलपुर, बारां एवं अलवर को प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात् तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिये अधिकृत किया जाता है ।

आज्ञा से,
मंजू राजपाल,
शासन सचिव एवं
आयुक्त।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 17, 2021

संख्या एफ.15(25)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2020/487:– स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/981 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा नगरपालिका सपोटरा, अधिसूचना कमांक 916 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा नगरपालिका अटरू, अधिसूचना कमांक 541 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा नगरपालिका बसेडी, अधिसूचना कमांक 667 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा नगरपालिका सरमथुरा, अधिसूचना

कमांक 854 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा नगरपालिका बस्सी, अधिसूचना कमांक 728 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा नगरपालिका जावाल, अधिसूचना कमांक 791 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा नगरपालिका सीकरी, अधिसूचना कमांक 606 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा नगरपालिका मण्डावरी, अधिसूचना कमांक 1046 दिनांक 24.03.2021 के द्वारा नगरपालिका बानसूर, अधिसूचना कमांक 1300 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा नगरपालिका पावटा–प्रागपुरा, अधिसूचना कमांक 1176 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा नगरपालिका रामगढ, अधिसूचना कमांक 1423 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा नगरपालिका लक्ष्मणगढ, अधिसूचना कमांक 1114 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा नगरपालिका भोपालगढ, अधिसूचना कमांक 1238 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा नगरपालिका सुल्तानपुर, अधिसूचना कमांक 1361 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा नगरपालिका बामनवास, अधिसूचना कमांक 1485 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा नगरपालिका लालगढ जाटान एवं अधिसूचना कमांक 1547 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा नगरपालिका उच्चैन को चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित की गई है । जिनमें प्रभावित ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा आंशिक भाग को सम्मिलित कर दिये जाने के कारण संबंधित जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का एकल निर्वाचन क्षेत्र तथा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच पद एवं संबंधित ग्राम पंचायतों का आरक्षण प्रभावित हो गया है ।

अतः राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या–13) की धारा–98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–12(2), 13(2) व 14(2) तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 व 4 के तहत यथा जिला परिषद व पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/पुनर्निर्धारण व प्रकाशन करने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत करते हुए प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया जाता है । नवगठित नगरपालिकाओं के गठन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं से पृथक किए जाने के कारण पंचायत समितियों, जिला परिषद एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) के आरक्षण तथा प्रधान या सरपंच पदों का आरक्षण प्रभावित हो रहा हो तो पुनः निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–15 व 16 तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 5, 6, 7, 8 व 9 की शक्तियां संबंधित जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित करती है ।

आज्ञा से,
मंजू राजपाल,
शासन सचिव एवं
आयुक्त।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।